रजिस्टर्ड नं० ल0-33/एस0 एम0 14/92

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1992/17 अग्रहायण, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय भू-व्यवस्था अधिकारी, शिमला मण्डल, शिमला-171006

"विज्ञापन" बाबत तजवीज़ अक्साम आराजी अधिसूचित क्षेत्र समिति परवाणु, तहसील कसौली, जिला सोलन

एन0 ए0 सी0 परवाणू, तहसील कसौली, जिला सोलन का हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 की धारा 52 के तहत सरकार हि0 प्र0 द्वारा नं0 रैव0 2 एफ0 (2)-9/79, दिनांक, 22 जनवरी, 1992 द्वारा पुनर्निर्धारण करने हेतु नोटिफिकेशन जारी हुआ है।

3075-राजपत्र/92-8-12-92—1,218. (3543) मूल्य : 1 रुपया।

उक्त उद्देश्य हेतु इस के जमा जदीद की दरें कायम करने के लिए, जरायती आराजी में होने वाली पैदावार का अनुमान लगाने के लिए, औसत आदि लगाने के लिए, शुद्ध किराया पूंजी आदि निकालने के लिए इस क्षेत्र के लिए अक्साम आराजी जो हाल बन्दोबस्त में रखी जानी है, की तजवीज की जानी आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (साधारण) निर्धारण नियम, 1984 और हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (विशेष) निर्धारण नियम, 1986 के नियम 4(हर दो) के अर्थानुसार अधिसूचित क्षेत्र समिति परवाणू के लिए हाल बन्दोबस्त में निम्नलिखित अक्साम आराजी दर्ज करने की तजवीज है:—

"मजरूआ"

(क) सिंचित

1.	कुहल अव्वल:	कुहलों द्वारा आबपाश होने वाली वह भूमि जिसमें साल में प्रायः दो फसलें काश्त होती हों और हर फसल के लिए पानी काफी मात्रा में प्राप्त होता हो।
2.	कुहल दोयम :	कुहलों द्वारा आबपाश होने वाली वह भूमि जिसमें साल में एक या दो फसलें काश्त होती हों और आबपाशी के लिए पानी कुहल अव्वल की अपेक्षा कम प्राप्त होता हो और फसल भी कुहल अव्वल की अपेक्षा कम होती हो।
3.	कुहल सोयम:	कुहलों द्वारा आबपाश होने वाली वह भूमि जिसे आबपाशी के लिए पानी बहुत-ही कम मात्रा में मिलता हो और जिसमें साल में एक या दो साल में तीन फसलें काश्त की जाती हों।
4.	बागीचा कुहल अव्वल फलदार:	ऐसा बागीचा जो कुहलों द्वारा आबपाश होता हो और सिंचाई के लिए पानी उसे पर्याप्त मात्रा में मिलता हो तथा उसमें लगे पौधे फल दे रहे हों।
5.	बागीचा कुहल अव्वल बिला फलदार:	ऐसा बागीचा जो उपरोक्त परिभाषित किस्म नं0 4 जैसा हो परन्तु उसमें लगे पौधे अभी फल न दे रहे हों।
6.	बागीचा कुहल दोयम फलदार :	कुहलों द्वारा आबपाश होने वाला वह बागीचा जिसमें लगे पौधे फल दे रहे हों और आबपाशी के लिए पानी बागीचा कुहल अव्वल की अपेक्षा कम मात्रा में उपलब्ध होता हो।
7.	बागीचा कुहल दोयम बिला फलदार	ऐसा बागीचा जो उपरोक्त परिभाषित किस्म नं0 6 जैसा हो परन्तु उसमें लगाये गये पौधे फल न दे रहे हों।
8.	कतूल अव्वल :	वह भूमि जिसमें आबपाशी तो होती है और साल में दो फसलें भी उसमें काश्त की जाती हैं परन्तु कुहलों में पानी एक विशेष अवधि (13 सितम्बर से 18 फरवरी) के लिए ही छोड़ा जाता हो। इस प्रकार की भूमियों में कुहल अव्वल और कुहल दोयम की अपेक्षा पानी कम मात्रा में उपलब्ध होता है।
9.	कतूल दोयम:	वह भूमि जो उपरोक्त परिभाषित कतूल अव्वल जैसी ही हो, परन्तु उसे आबपाशी के लिए पानी कतूल अव्वल की अपेक्षा कम मात्रा में मिलता हो।

10. बागीचा कतूल फलदार:	वह भूमि जिसमें द्रख्तान फलदार लगा रखे हों और सिंचाई के लिए पानी कतूल उपरोक्त की भान्ति मिलता हो तथा द्रख्तान फल दे रहे हों।
11. बागीचा कतूल बिला फलदार :	उपरोक्त परिभाषित किस्म नं0 10 जिसमें द्रख्तान फलदार अभी इतने छोटे हैं कि वे अभी फल न दे रहे हों।

(ख) असिंचित

1. बंगर अव्वल :	वर्षा पर निर्भर वह भूमि जो आबादी के नजदीक हो और उसमें खाद पर्याप्त मात्रा में पड़ती हो तथा वह भूमि साल में दो/तीन फसलें काश्त करने योग्य हो।
2. बंगर दोयम :	वर्षा पर निर्भर वह भूमि जो साल में दो/तीन फसलें काश्त योग्य हों, परन्तु आबादी से दूर हो तथा उस भूमि में खाद आदि उपरोक्त वर्णित बंगर अव्वल की अपेक्षा कम मात्रा में पड़ती हो।
3. बंगर सोयम :	वर्षा पर निर्भर वह भूमि जो आबादी से काफी दूरी पर हो और उसमें खाद आदि भी बंगर अव्वल, बंगर दोयम की अपेक्षा कम मात्रा में उपलब्ध होती हो साथ ही उस भूमि में साल में एक या दो साल में तीन फसलें काश्त होती हों।
4. बागीचा बंगर अव्वल फलदार	वर्षा पर निर्भर वह भूमि जिसमें द्रख्तान फलदार लगा रखे हों और वे फल दे रहे हों तथा काश्त व फसल के लिहाज से बंगर अव्वल के मुकाबला की हो।
5. बागीचा बंगर अव्वल बिला फलदार :	उपरोक्त अन्तिम परिभाषित वह भूमि जिसमें लगाए गए द्रख्तान फलदार अभी इतने छोटे हैं कि वे अभी तक फल नहीं दे रहे हैं।
6. बागीचा बंगर दोयम फलदार :	वर्षा पर निर्भर वह भूमि जिसमें द्रख्तान फलदार लगा रखे हों और वे फल दे रहे हों तथा वह भूमि काश्त व फसल के लिहाज से बंगर दोयम और बंगर सोयम के कमीबला की हो।
7. बागीचा बंगर दोयम बिला फलदार :	उपरोक्त अन्तिम परिभाषित वह भूमि जिसमें द्रख्तान अभी छोटे-छोटे हैं और वे अभी तक फल नहीं दे रहे हों।

गैर मजरूआ

1. बंजरजदीद:	वह भूमि जो कभी काश्ता थी, परन्तु लगातार चार फसलों (दो सालों) से बिला काश्त चली आ रही है तथा चार साल से अधिक बिला काश्त (खाली) न रही हो।
2. बंजर जदीम:	वह भूमि जो पहले काश्ता थी, परन्तु चार या चार से अधिक सालों से काश्त न की जा रही हो।
3. घासनी:	जमींनदारान का मलकीयती वह रकबा जो घास कटाई के लिये सुरक्षित रखा जाता हो और बाद कटाई घास इस बिना पर आम चरान्द के लिये खुल जाता हो कि मालिकान को ऐसा करने में कोई एतराज न हो।

4.	बन:	जमींनदारान का ऐसा मलकीयती रकबा जिसमें किसी प्रकार के द्रख्तान (इसमें फलदार द्रख्तान शामिल नहीं) हों ।
5.	बनी:	जमींनदारान की वह मलकीयती भूमि जिसमें पत्तीदार हों जो चारे आदि के काम आते हों ।
6.	बनबांस:	जमींनदारान का वह मलकीयती रकबा जिसमें बांस या बांसड़ियां (बैंजी) पाई जाती हों ।
7.	घासनी सरकार:	सरकार का वह मलकीयती रकबा जो घास आदि के लिये सुरक्षित रखा गया हो और सरकार उस घास को नीलाम आदि करती हो ।
8.	चरागाह द्रख्तान:	सरकार का वह मलकीयती रकबा जिसमें द्रख्तान इस्तादा हों और उस रकबा में जमींनदारान के हकूक बर्तन आदि सुरक्षित हों ।
9.	चरागाह बिला द्रख्तान:	उपरोक्त अन्तिम परिभाषित वह रकबा जिसमें द्रख्तान न हों ।
10.	जाये सफेद:	वह निजि मलकीयती भूमि मालिकान जो मकानात, दुकानात आदि के साथ वाक्या है परन्तु वह सैहन की परिभाषा में नहीं आती ।
11.	जाये सरकार:	ऐसी खाली भूमि जो सरकार की मलकीयत हो और सरकारी भवनों आदि के साथ बतौर उपरोक्त अन्तिम परिभाषित किस्म प्रयुक्त की जा रही हो ।
12.	गैर मुमकिन सैहन:	मकानात/दुकानात आदि के साथ ऐसा खाली रकबा जो बतौर आंगन प्रयोग में लाया जाता हो ।
13.	गैरमुमकिन खण्डहर:	ऐसी भूमि जहां किसी समय इमारत थी, परन्तु अब किसी कारण वहां दीवारें आदि ही शेष रह गई हैं ।
14.	गैर मुमकिन खलिहान:	ऐसी जगह जो फसल की झाड़ (मण्डाई आदि) के लिये सुरक्षित रखी गई हो ।
15.	गैर मुमकिन मकानात:	वह भूमि जिसमें ऐसी इमारतें कच्ची/पक्की, एक मंजिला/बहुमंजिला तामीर कर रखी हों जिन्हें बतौर रिहायश या किराया पर रिहायश के लिये प्रयोग में लाया जाता हो ।
16.	गैरमुमकिन रसोई-घर:	वह भूमि जहां ऐसा भवन कच्चा/पक्का, एक मंजिला बहु-मंजिला तामीर कर रखा हो जिसका प्रयोग केवल रसोई बनाने के लिये ही किया जाता हो ।
17.	गैर मुमकिन स्नान-गृह:	वह भूमि जिसमें कच्ची/पक्की, एक मंजिला/बहु मंजिला इमारत बना रखी हो जिसका प्रयोग केवल नहाने आदि के लिये किया जाता हो ।
18.	गैर मुमकिन शौचालय:	वह भूमि जहां कच्ची/पक्की एक मंजिला/बहु मंजिला जो इमारत बना रखी है उसका इस्तेमाल शौच आदि के लिये होता हो ।
19.	गैर मुमकिन सीढ़ियां:	मकानात, दुकानात आदि के साथ वह भूमि जिसमें ऊपर-नीचे आने-जाने के लिये सीढ़ियां या पौड़ियां कच्ची/पक्की बना रखी हों ।
20.	गैर मुमकिन गैरेज :	मालिकान की मलकीयती वह भूमि जहां कच्ची/पक्की एक मंजिला/बहु मंजिला इमारत बना रखी हो जिसमें प्राईवेट तौर पर वाहन आदि खड़े रखने की व्यवस्था हों ।

नोट:—सरकारी गैरेज को अलग नम्बर खसरा द्वारा पैमूद नहीं किया जावेगा अलबत्ता उसे सम्बन्धित भवन में ही शुमार किया जावेगा।

21. गैर मुमकिन गोशाला: वह भूमि जहां कच्ची/पक्की एक मंजिला, बहु मंजिला इमारत बना रखी हो जो मवेशियान आदि रखे जाने के लिये प्रयोग में लाई जाती है।

22. गैर मुमकिन बरामदा: मकानात आदि के साथ तामीर किया गया छज्जा के नीचे आया ऐसा रकबा जो सैहन के अन्दर की ओर हो और मकानात आदि का ही हिस्सा हो।

23. गैर मुमकिन मुर्गीखाना: वह भूमि जहां कच्ची/पक्की, एक मंजिला/बहु मंजिला इमारत बना रखी हो जिसका उपयोग मुर्गियां आदि पालने के लिये किया जाता हो।

24. गैर मुमकिन फुलवाड़ी: ऐसी भूमि जहां मकानों आदि के साथ सजावट के फूल आदि लगाये गये हों।

25. गैर मुमकिन सैप्टिक टैंक: ऐसी जगह जहां मल-मूत्र इक्ट्ठा रखने के लिये कच्ची/पक्की, एक मंजिला/बहु मंजिल इमारत बना रखी हो।

26. गैर मुमकिन ढारा: ऐसी जगह जहां कच्ची मिट्टी या टीन आदि से आरजी तौर पर मकाननुमा ढांचा तैयार कर रखा हो।

27. गैर मुमकिन गली: दो इमारतों के बीच का वह स्थान जो आने जाने के लिये कच्चा/पक्का रास्ता के तौर पर निजी होने के कारण व्यक्तिगत और सार्वजनिक होने के कारण शारह आम बतौर प्रयोग होता हो।

28. गैर मुमकिन डिपो: वह स्थान जहां कोयला या लकड़ी का गोदाम हो।

29. गैर मुमकिन गोदाम: वह जगह जहां सामान आदि इक्ट्ठा रखने के लिये कच्ची/पक्की, एक मंजिला/बहुमंजिला इमारत बना रखी हो।

30. गैर मुमकिन धर्मशाला: वह जगह जहां यात्रियों आदि के ठहरने के लिये एक मंजिला, बहु मंजिला, कच्ची/पक्की इमारत बना रखी हो।

31. गैर मुमकिन चिकित्सालय: वह भूमि जिसमें कच्ची/पक्की, एक मंजिला/बहु मंजिला इमारत बना रखी हो जिसमें रोगियों के इलाज आदि की सुविधा की व्यवस्था हो।

32. गैर मुमकिन शव-गृह: वह जगह जहां शवों को रखने के लिये कच्ची/पक्की, एक मंजिला/बहु मंजिला इमारत बना रखी हो।

33. गैर मुमकिन चलचित्र-गृह: वह स्थान जहां चलचित्र दिखाने की गर्ज से कच्ची/पक्की, एक मंजिला/बहु-मंजिला इमारत बना रखी हो।

नोट.—इस किस्म जमीन में सिनेमा-घर, वीडीओ- हाऊस और रामलीला -स्टेज आदि शामिल है।

34. गैर मुमकिन मुद्रणालय: वह स्थान जहां छपाई आदि कार्य के लिये कच्ची/पक्की, एक मंजिला/बहु मंजिला इमारत बना रखी हो।

35. गैर मुमकिन कोल्ड-स्टोर: वह जगह जहां कोल्ड स्टोरेज के लिये इमारत बना रखी हो।

36.	गैर मुमकिन क्लब:	ऐसी जगह जहां कर्मचारी/अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्तियों के मनोरंजन हेतु कच्ची/पक्की, एक मंजिला/बहु-मंजिला इमारत बना रखी हो ।
37.	गैर मुमकिन प्रयोगशाला:	वह जगह जहां कच्ची/पक्की, एक मंजिला/बहुमंजिला इमारत सैम्पलों आदि के निरीक्षण के लिये बना रखी हो ।
38.	गैर मुमकिन घाट:	ऐसी भूमि जहां कच्ची/पक्की ऐसी इमारत बना रखी हो जिसमें चलने वाले घाट आदि पानी से चलते हों ।
39.	गैर मुमकिन गड्डा-खाद:	ऐसी जगह जहां गोबर आदि रखने के लिये गड्डा बना रखा हो ।
40.	गैर मुमकिन वाटर टैंक:	वह जगह जहां पानी इकट्ठा रखने के लिये टैंक बना रखा हो ।
41.	गैर मुमकिन वर्कशाप:	वह भूमि जहां कच्ची पक्की, एक मंजिला/बहुमंजिला इमारत बना रखी हो जिसमें वाहन आदि की तैयारी या मुरम्मत की जाती हो ।
42.	गैर मुमकिन खोखा:	टीन आदि की आरजी दुकान आदि जिस भूमि में बना रखी हो ।
43.	गैर मुमकिन दुकान:	वह भूमि जिसमें बनी कच्ची/पक्की, एक मंजिला/बहु मंजिला इमारत का प्रयोग सौदा आदि खरीद व फरोख्त के लिये किया जाता हो ।
44.	गैर मुमकिन माकानात व दुकानात:	वह भूमि जिसमें बनी कच्ची/पक्की, एक मंजिला/बहुमंजिला इमारत का प्रयोग बतौर दुकान के साथ-साथ रिहायश बतौर भी किया जाता हो ।
45.	गैर मुमकिन होटल:	वह भूमि जिसमें कच्ची/पक्की, एक मंजिला/बहु मंजिला बनी इमारत में खाना आदि बनाने व खिलाने की व्यवस्था हो ।
46.	गैर मुमकिन टी-स्टाल:	वह भूमि जहां कच्ची/पक्की, एक मंजिला/बहु मंजिला इमारत बना रखी हो और उस इमारत में चाय, दूध, मिठाइयां आदि बनाई और विक्रय होती हों ।
47.	गैर मुमकिन रैस्टोरैंट:	वह भूमि जिसमें कच्ची/पक्की, एक मंजिला/बहु मंजिला बनी इमारत का प्रयोग बतौर यात्रियों आदि के ठहराव की व्यवस्था के लिये किया जाता हो ।
48.	गैर मुमकिन होटल व रैस्टोरैंट:	वह भूमि जिसमें कच्ची/पक्की, एक मंजिला, बहु मंजिला इमारत बना रखी हो और उसमें होटल के साथ-साथ यात्रियों आदि के ठहरने के लिये भी व्यवस्था हो ।
49.	गैर मुमकिन उद्योग:	वह भूमि जिसमें बनी कच्ची/पक्की, एक मंजिला /बहुमंजिला इमारत में किसी भी प्रकार का कारखाना लगाया हो । **स्पष्टीकरण.**—इस किस्म आराजी में आरा-मशीन, कोल्हू, रूई पिंजाई, धान कुटटी, आटा-पिसाई आदि जारी बिजली और हर प्रकार का कारखाना जैसे, साबुन फैक्ट्री, ब्रैड फैक्ट्री आदि-आदि शामिल हैं ।
50.	गैर मुमकिन पैट्रोल-पम्प:	वह भूमि जिसमें कच्ची/पक्की, एक मंजिला/बहुमंजिला बनी इमारत का प्रयोग डीजल, पैट्रोल, मिट्टी तेल आदि की खरीदोफरोख्त के लिये किया जाता हो ।

51. गैर मुमकिन ट्रांसफार्मर: ऐसी जगह जहां विद्युत विभाग ने बिजली संचालन हेतु ट्रांसफार्मर लगा रखा हो।

52. गैर मुमकिन पाठशाला: वह भूमि जहां कच्ची/पक्की, एक-मंजिला/बहुमंजिला बनी इमारत में विद्यार्थियों के पढ़ने की व्यवस्था हो।

53. गैर मुमकिन मैदान: वह भूमि जो विद्यार्थियों आदि के लिये खेलने के लिए सुरक्षित हो।

54. गैर मुमकिन कार्यालय: वह भूमि जिसमें कच्ची/पक्की, एक मंजिला/बहु मंजिला बनी इमारतों में सरकारी किसी भी विभाग के कार्यालय हों।

स्पष्टीकरण.—भूमि की इस किस्म में विभाग आदि का ब्यौरा कोष्ठ में दिया जावेगा अर्थात् गैर मुमकिन कार्यालय (पटवारखाना, थाना, दमकल-केन्द्र, तहसील कार्यालय आदि-आदि)।

55. गैर मुमकिन डाकघर/तारघर: वह भूमि जिसमें बनी इमारत में डाकघर/तारघर हो।

56. गैर मुमकिन क्वार्टर: वह भूमि जिसमें सरकार ने कर्मचारियों/अधिकारियों के ठहरने के लिये (आवासीय सुविधा) इमारतें बना रखी हों।

57. गैर मुमकिन वर्षा-शालिका: वह भूमि जहां सरकार ने यात्रियों आदि के लिये वर्षा आदि में बैठने के लिये शालिका बना रखी हों।

58. गैर मुमकिन विश्राम-गृह वह भूमि जहां सरकार ने सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के ठहरने के लिये इमारतें बना रखी हों।

59. गैर मुमकिन परिधि-गृह उपरोक्त परिभाषित अन्तिम वह इमारत जो केवल अति विशिष्ट व्यक्तियों के ठहरने के लिए ही बना रखी हो।

60. गैर मुमकिन जल-उठाऊ-गृह: वह भूमि जिसमें बिजली द्वारा पानी उठाने के लिये तथा पानी वितरित करने के लिये मशीनें आदि रखने के लिये इमारत बना रखी हो।

61. गैर मुमकिन मन्दिर/मस्जिद/गुरुद्वारा: वह भूमि जिसमें हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख आदि समुदाय के लोगों ने पूजा-अर्चना आदि के लिए मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि बना रखे हों।

स्पष्टीकरण.—इस किस्म में देव-स्थान भी शामिल हैं।

62. गैर मुमकिन बस-अड्डा: वह भूमि जहां वाहन आदि खड़ा होते हैं और गाड़ियां आदि जहां खड़ा करने की व्यवस्था हो।

63. गैर मुमकिन अहाता: सरकारी भवनों के साथ वह खाली रक्बा जिसे बतौर सैहन या मैदान प्रयुक्त किया जाता है।

64. गैर मुमकिन रिक्शा शैड: वह भूमि जहां रिक्शे खड़े किये जाते हैं।

65. गैर मुमकिन पहरा घर: वह भूमि जहां पुलिस के सिपाही को पहरा देने के लिये छोटा-मोटा घर जैसा बनाया गया हो।

66. गैर मुमकिन हवाघर: वह स्थान जो लोगों के बैठने आदि के लिये बनाया गया हो।

67. गैर मुमकिन टावर: वह स्थान जहां विद्युत विभाग ने बड़ी लाईन के टावर बना रखे हों।

68. गैर मुमकिन रेलवे स्टेशन: वह भूमि जहां रेलगाड़ी खड़ी होती हो।

नोट.—इस किस्म में स्टेशन पर बुकिंग आफिस और रेलवे क्वार्टर आदि भी शामिल है।

69. गैर मुमकिन रेलवे लाईन: वह भूमि जहां रेल-पटड़ी बिछी हुई हो।

70. गैर मुमकिन चबूतरा: वह स्थान जो आम जनता के लिये घूमने बैठने के लिये बना रखा हो। इसे पार्क भी कहा जाता है।

71. गैर मुमकिन नल-पानी: ऐसी जगह जहां सरकारी/गैर सरकारी तौर पर पानी का नल लगा हो।

72. गैर मुमकिन तालाब: वह स्थान जो पानी इक्ट्ठा रखने के लिये कच्चा/पक्का गड्ढानुमा जगह बना रखी हो।

73. गैर मुमकिन बावड़ी: ऐसी जगह जहां कुदरती तौर पर पानी हो।

74. गैर मुमकिन डंगा: वह स्थान जहां कच्ची/पक्की दीवार जैसी लगा रखी हो।

75. गैर मुमकिन टोडा: काश्ता रकबा के बीच वह रकबा जो खेतों को हमवार आदि करने के लिये या भू-स्खलन रोकने के लिये बतौर डंगा होता है या जिसे बीड़ भी कहते हैं।

76. गैर मुमकिन ढाक: वह भूमि जो बिल्कुल ही ढ़लानदार हो और वह भूमि किसी भी प्रयोग में नहीं लाई जाती।

77. गैर मुमकिन श्मशान घाट: वह भूमि जहां मुर्दा शवों को जलाया जाता है।

78. गैर मुमकिन नाली/नाला/खड्ड: ऐसी जगह जो पानी के निकास हेतु सुरक्षित रखी गई हो।

79. गैर मुमकिन कुहल: ऐसी भूमि जिसमें सिंचाई तथा घाट आदि के लिये पानी ले जाया जाता हो।

80. गैर मुमकिन रास्ता: ऐसी भूमि जो आने-जाने के लिये सुरक्षित हो।

81. गैर मुमकिन सड़क: ऐसी भूमि जिसमें मोटर-गाड़ी आदि वाहन आते-जाते हों।

82. गैर मुमकिन वर्षा-माप: वह स्थान जहां वर्षा-मापी यन्त्र रखा गया हो।

अतः हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (साधारण) पुनर्निर्धारण नियम, 1984 के नियम 14 (1) की पालना में यह विज्ञापन जारी करके जन-साधारण अधिसूचित क्षेत्र समिति परवाणू, तहसील कसौली, जिला सोलन को सूचित किया जाता है कि यदि किसी महानुभाव को उपरोक्त तजवीज बारे किसी किस्म का उजर/एतराज हो या सुझाव आदि प्रस्तुत करना हो तो वह लिखित रूप में इस विज्ञापन की प्राप्ति के बाद 30 दिनों के भीतर-भीतर कार्यालय हजा को प्रेषित करें।

दिनांक: अक्तूबर, 1992

एस0 के0 जस्टा,
भू-व्यवस्था अधिकारी,
शिमला मण्डल।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।